an>

Title: Issue regarding implementation of Roster System of reservation in Universities.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूंगा। इस समय देश में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि यूनिवर्सिटी को इकाई न मानकर, विभाग को इकाई मानकार आरक्षण देने का जो रोस्टर बनाया है, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है।

मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा- माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां हैं- कि इसका कोई न कोई निजात होना चाहिए। न्यायपालिका कानून का काम कर रही है। हम लोग पार्लियामेंट में बैठकर क्या कर रहे हैं? हमसे ज़्यादा कानून सुप्रीम कोर्ट बनाने का कार्य कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप बस अपनी बात रखिए।

डॉ. उदित राज : महोदया, इसके ऊपर कुछ किया जाए। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट गरीब विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। ये जातिवादी संस्था बन गई है। ये भाई-भतीजेवाद की संस्था बन गई है।

माननीय अध्यक्ष :

डॉ. किरिट पी. सोलंकी एवं

श्री गणेश सिंह को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बात रखिए। रमेश बिधुड़ी जी।